

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट गुड़िया)

1. मखनसिंह पुत्र रामसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।  
-वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र सुन्दरसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।  
2. सुलखनसिंह पुत्र रामसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी।

-प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर:-196/2018

अन्तर्गत धारा:-88 आरटीए

निर्णय दिनांक:-28.6.2018

वादी की ओर से महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से सुभाषचन्द्र गर्ग एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-प्रतिवादी सं० 1 रामसिंह के नाम से दर्ज चक नं० 1 एमकेएस ए के खाता सं० 117/110 में अंकित कुल 1.265 है० आराजी में से प०न० 214/218 मु० 32 किला नं० 12,13 कुल .506 है० आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक नं० 1 एमकेएस ए के खाता सं० 117/110 में से प्रतिवादीसं० 1 का हिस्सा कम कर शेष हिस्सा यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 28.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत गुड़िया में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

| वाद के खर्चे                    | वादी | रुपया | प्रतिवादी                     | रुपया |
|---------------------------------|------|-------|-------------------------------|-------|
| 1. वादपत्र के लिए स्टाम्प       |      | 0     | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     | 0     |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प    |      | 0     | अर्जी के लिए स्टाम्प          | 0     |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प     |      | 0     | प्लीडर की फीस                 | 0     |
| 4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस   |      | 0     | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | 0     |
| 5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय |      | 0     | आदेशिका की तामील              | 0     |
| 6 कमिश्नर की फीस                |      | 0     | कमिश्नर की फीस                | 0     |
| 7 आदेशिका की तामील              |      | 0     |                               | 0     |
| जोड़                            |      | 0     | जोड़                          | 0     |